– 98/2017

1. राकेश कुमार पिता शांतिलाल जैन निवासी कांकरियातलाई तह0 सिंगोली म0प्र0
2. मुकेश कुमार पिता शांतिलाल जैन निवासी कांकरियातलाई तह0 सिंगोली म0प्र0
3. संतोषबाई पत्नी राकेश कुमार जैन निवासी कांरियातलाई तह0 सिंगोली म0प्र0
4. सुलोचना पत्नी मुकेश कुमार जैन निवासी कंकरियातलाई तह0 सिंगोली म0प्र0

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता जोधराज जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
2. सीताराम पिता जोधराज जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
3. घीसी पिता जोधराज जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
4. प्रेमी पिता जोधराज जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
5. फूमा पत्नी स्व0 नानालाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
6. जमना पिता नानालाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
7. शंभू पिता नानालाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
8. प्रकाश पिता नानालाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
9. गीता पिता नानालाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
10. प्रेम पिता नानालाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
11. केशर पिता नानालाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
12. रामसुख पिता गोकल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
13. छीतर पिता गोकल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
14. नंदूबाई पिता मांगीलाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
15. पार्वतीबाई पिता मांगीलाल जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
16. उँकार पिता ज्वारा जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
17. शांतिबाई पुत्री छोगा जाट निवासी कुलाटियानई तह0 बेगूँ
18. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक : 31.08.2023

<u>निर्णय वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादीगण की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस पकार से किया गया कि मौजा कुलाटियानई पटवार [illegible] कुलाटियानई की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 74 में खातेदार देवीलाल सीताराम पिता जोधराज घीसी प्रेमी दुख्तर जोधराज मु. फूमा पत्नी स्व. नानालाल जमनालाल शंभु प्रकाश गीता प्रेम केशर पिता नानालाल रामसुख छीतर पिता गोकल नंदूबाई पार्वतीबाई [illegible] मांगीलाल का हिस्सा 1/5 उंकार पिता ज्वारा का हिस्सा 1/10 शांतिबाई पुत्री छोगा का हिस्सा 1/5 जा[illegible]0देह श्रीमती संतोषबा[illegible] राकेश कुमार का हिस्सा 1/5 श्रीमती सुलोचनाबाई पत्नी मुकेशकुमार जैन का हिस्सा 1/5 राकेश कुमार मुकेशकुमार पिता शांतिलाल जैन का हिस्सा 1/10 सा. कांकरियातलाई म0प्र0 खातेदार अंकित है।

उक्त खाता संख्या 74 में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

0.5600
0.2600
1.0900

किता–7 कुल रकबा 3.2100 हैक्टर

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर पृथक पृथक कब्जे काश्त में है किन्तु विधिवत विभाजन न होकर राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में अंकित स्थित है। आराजीयात संयुक्त खातेदारी में होने से आये दिन काश्त करने फसल लेने एवं अन्य कृषि कार्यो के समय आपस में मन मुटाव होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु वादीगण ने तहसील कार्यालय में चलकर राजस्व रेकार्ड में बंटवारा कराये जाने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 17.10.2017 को कहॉ तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वास्ते वाद बंटवारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वाद कारण दिनांक 17.10.2017 से वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चल कर बंटवारा कराने की कहने तथा प्रतिवादीगण द्वारा मना कर दिये जाने उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

प्रतिवादी संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदार बंटवारा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है:

(अ) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में चाह को छोडकर शेष आराजीयात का दर्ज हिस्सा एवं मौके पर काबिज अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावे। बाद हिस्सा विभाजन व ादीगण ए वं प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक अंकन किये जाने की भी अज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ब) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावें ।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 17 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 18 भूमिधारी तहसीलदार फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा पत्रावली में अपना जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली में एक तरफा साक्ष्य वादीगण में वादी मुकेश कुमार पिता शांतिलाल जैन के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दिनांक 06.08.2019 को उनके बयान कलमबद्ध करा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 अंकित कर बयान वादीगण के पूर्ण कराये गये। पत्रावली में साक्ष्य वादीगण की पूर्ण होने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा मामले होने से साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं होने से अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस वादपत्र पर सुनी गई जिन्होने अपनी बहस प्रस्तुत जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार वर्णित आराजीयात का विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर बहस अधिवक्ता वादीगण [illegible] के पश्चात पत्रावली का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रस्तुत नकल जमाबंदी [illegible] जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 74 में खातेदार देवीलाल सीताराम पिता जोधराज घीसी प्रेमी [illegible] जोधराज मु. फूमा पत्नी स्व. नानालाल जमनालाल शभू प्रकाश गीता प्रे[illegible] नानालाल समस्त छीतर पिता गोकल नंदूबाई पार्वतीबाई दुख्तर मांगीलाल का हिस्सा 1/5 ऊँकार [illegible] ज्वारा का हिस्सा 1/10 शांतिबाई पुत्री छोगा का हिस्सा 1/5 जाट सा0देह श्रीमती संतोषबाई पत्नी राकेश कुमार का हिस्सा 1/5 श्रीमती सुलोचनाबाई पत्नी मुकेशकुमार जैन का हिस्सा 1/5 राकेश कुमार मुकेशकुमार पिता शांतिलाल जैन का हिस्सा 1/10 सा. कांकरियातलाई म0प्र0 खातेदार अंकित होना पाया गया,प्रस्तुत दस्तावेज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

... छोडत हुए आराजी ...

... सुलोचनाबाई पत्नी मुकेशकुमार जैन का हिस्सा 1/5 राकेश कु... ...तिलाल जैन का हिस्सा 1/10 सा. कांकरियातलाई म0प्र0 एवं प्रतिवादीगण सीताराम पिता जोधराज घीसी प्रेमी दुख्तर जोधराज मु. फूमा पत्नी स्व. नानालाल जमनालाल शभू प्रकाश गीता प्रेम केशर पिता नानालाल रामसुख छीतर पिता गोकल नंदूबाई पार्वतीबाई दुख्तर मांगीलाल का हिस्सा 1/5 उँकार पिता ज्वारा का हिस्सा 1/10 शांतिबाई पुत्री छोगा का हिस्सा 1/5 जाट सा0देह के हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का ध्यान रखते हुए तथा कब्जे को ध्यान में रखते हुए आराजी का विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार बेगॅू 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में न्यायालय में प्रस्तुत करे। किसी खातेदार का हिस्सा रहन बैंक के हो तो उसे रहन बदस्तूर रखा जावें।

उपरोक्त प्रार्थमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र क्रमांक/भू.अ./2023/850 दिनांक 16.06.2023 के साथ फर्द बटवारां के साथ प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस न्यायालय में प्रस्तुत किया प्राप्त फर्द बटवारां रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्राप्त फर्द बटवारां रिपोर्ट प्रार्थमिक निर्णय व डिक्री अनुसार है अतः दावा अंतिम डिक्री किया जावे। प्राप्त फर्द बटवारां रिपोर्ट में अंकितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का हक मुताबीक फर्द बटवारां रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया गया है।

अतः वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारां रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है दावा वादी का अन्तिम डिक्री किया जाता है। मौजा कुलाटियानई प0ह0 कुलाटियानई तह0 बेगूं का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से किया जाने का आदेश दिया जाता है।

1. सन्तोष बाई पत्नि राकेश कुमार हिस्सा 2/5 सुलोचना पत्नि मुकेश कुमार हिस्सा 2/5 राकेश कुमार पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/10 मुकेश कुमार पुत्र शान्तिलाल हिस्सा 1/10 जैन निवासी कांकरीयातलाई तह0 जावद(म0प्र0) खातेदार रहन हिस्सा सन्तोष बाई व सुलोचना का स0भू0वि0 बेंक शाखा बेगूं

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
201	0.56	चा.2	14.06
		जा.2	
		जाव 2	1.23
202मे से	0.09	बंजड	0.26
203मे से	0.14	बंजड	1.43
203मे से	0.77		
			16.98

किता–4 कुल रकबा 1.56 हैक्टर

2. देवीलाल सीताराम घीसी प्रेमी पिता जोधराज हि.बा. 2/25 फूमा पत्नि स्व. नानालाल जमनालाल शम्भू प्रकाश गीता प्रेम केशर पिता नानालाल हि.ब. 2/25 गोपाललाल सुगना राधा पिता रामसुख लाडबाई पत्नि स्व. रामसुख हि.ब. 2/25 छीतर पिता गोकल 2/25 नन्दुबाई पार्वतीबाई पिता मांगीलाल हि.ब. 2/25 उंकार पिता ज्वारा 1/5 शांतिबाई पुत्री छोगा हि.ब. 2/5 जाट सा.दे... रहन स.भू.वि.बैंक शाखा बेंगूं हिस्सा उंकार केशर गीता गोपाललाल छीतर जमना नन्दुबाई प्र... पार्वतीबाई फूमा राधा लाडबाई शम्भू सुगना का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested

...जी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
...97	0.26	बंजड	0.48
...98	0.05	गे.मू.	—
199	0.94	चा.2	20.95
		जा.2	
202मे से	0.15	चा.2(0.04)	1.12
		जा.2(0.11)	1.50
203मे से	0.145	बंजड	0.28
203मे से	0.015	बंजड	0.03
किता–6 कुल रकबा 1.56 हैक्टर			24.36

3. संतोषबाई पत्नि राकेश कुमार 1/5 सुलोचना पत्नि मुकेश कुमार 1/5 राकेश कुमार पुत्र शांतिलाल 1/20 मुकेश कुमार पुत्र शांतिलाल 1/20 निवासी कांकरियातलाई तह0 जावद(म0प्र0) देवीलाल सीताराम घीसी प्रेमी पिता जोधराज हि.ब. 1/25 फूमा पत्नि स्व. नानालाल जमनालाल शम्भू प्रकाश गीता प्रेम केशर पिता नानालाल हि.ब. 1/25 गोपाल सुगना राधा पिता रामसुख लाडबाई पत्नि स्व. रामसुख हि.ब. 1/25 छीतर पिता गोकल हि. 1/25 नन्दुबाई पार्वतीबाई पिता मांगीलाल हि.ब. 1/25 उंकार पिता ज्वारा 1/10 शांतिबाई पुत्री छोगा हि. 1/5 जाट सा.देह.खा. रहन बदस्तुर जमाबंदी

आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
200	0.05	चाह	—
202मे से	0.02	जाव 2	0.27
203मे से	0.02	बंजड	0.03
किता–3 कुल रकबा 0.09 हैक्टर			0.30

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक दर्ज किया जावे।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को लिखाकर सुनाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़